

संख्या ए0बी-14017/49/92-स्था0॥आर0आर0॥

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

॥कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग॥

नई दिल्ली, दिनांक 15-6-83

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण॥अल्पावधि अनुबंध सहित॥ की संयुक्त पद्धति द्वारा पदों को भरेने के लिए पात्रता के निर्धारण की निर्णायक तारीख के विषय में ।

मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति पर विचार किए जाने वाले अधिकारियों की पात्रता संबंधी निर्णायक तारीख निर्धारित किए जाने के अनुरोध॥इस विभाग के दिनांक 19 जुलाई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 220/1/7/86-स्था0॥घ॥॥ पहले ही विद्यमान है । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन पर विचार किए जाने के लिए पात्रता को निर्धारित करने संबंधी निर्णायक तिथि के अनुरोध भी पहले से ही विद्यमान हैं । ॥अल्पावधि अनुबंध सहित॥ देखें इस विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए0बी-14017/71/89-स्था0 ॥आर0आर0॥ तथापि, इन अनुरोधों में भर्ती की संयुक्त पद्धति के मापदंडों में पात्रता की निर्णायक तारीख के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

2. इस मामले की जांच संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कर ली गई है और यह निर्णय किया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥अल्पावधि अनुबंध सहित॥, स्थानांतरण के लिए पात्रता की निर्णायक तारीख पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥अल्पावधि अनुबंध सहित॥ की संयुक्त पद्धति द्वारा भर्ती के मामले में भी लागू होगी अर्थात्:-

॥1॥ नामांकन आमंत्रित करने के लिए पत्र जारी करते समय यदि पहले से ही विद्यमान रिक्ति हो तो पात्रता का निर्धारण पद पर नियुक्ति के लिए जिम्मेवार मंत्रालय/विभाग/संगठन अर्थात् मूल मंत्रालय इत्यादि में नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख को देखते हुए किया जाए ।

॥11॥ पूर्व-प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वही होनी चाहिए जिसको रिक्ति होने की संभावना हो ।

3. इस मंत्रालय की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कभी-कभी विभाग भर्ती-नियमों में निर्धारित चयन के पूरे क्षेत्र में रिक्ति को परिचालित नहीं करते हैं अथवा रोजगार समाचार पत्र में इसका ज्ञापन नहीं देते हैं ।

मंत्रालयों/विभागों से अनिवार्यतः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र भर्ती नियमों की आवश्यकतानुसार सभी संगठनों में भेज दिए जाएं और साथ ही इसे रोजगार समाचार में प्रकाशित करवा दिया जाए। रिक्ति परिपत्रों की एक प्रति तथा रोजगार समाचार के संगत उद्धरण रिक्ति भरने के मार्ग-पत्र सहित आयोग को भेज दिये जाएं। ऐसा किए जाने पर ही आयोग रिक्ति को भरने के लिए कार्रवाई करेगा।

4. इन अनुदेशों को मार्गदर्शन तथा कड़े अनुपालन के लिए सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाए।

25.11.79
॥योगो पराडे॥
निदेशक
दूरभाष: 3011479

सेवा में:

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को
॥मानक सूची के अनुसार॥।

150 अतिरिक्त प्रतियां